दिनांक 18 जुलाई, 2014 को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :

1.	प्रोफेसर सुभाष धूलिया, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर अख़्तरूल वासे, निदेशक, इस्लामिक अध्ययन विभाग, जामियां मिलियां इस्लामियां, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	प्रोफेसर जे0एम0 पारख, प्राध्यापक मानविकी विद्याशाखा, इग्नू, नई दिल्ली।	सदस्य
4.	प्रोफेसर दुर्गेश पंत निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
5.	प्रोफेसर गोविन्दसिंह, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
6.	प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
7.	प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
8.	डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सहायक प्राध्यापक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
9.	डॉ (श्रीमती) गंगोत्री त्रिपाठी प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा नामित)	सदस्य

07/08/2014

10. श्री लक्ष्मण सिंह, — सदस्य सचिव
कुलसचिव,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

11. श्रीमती आभा गर्खाल, — आमंत्रित सदस्य
वित्त नियन्त्रक,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

12. डॉ0 संजय ध्यानी, — विशेष आमंत्रित सदस्य
उपकुलसचिव,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

कार्य परिषद की 10वीं बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव (सचिव कार्य परिषद) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष) तथा सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। सर्वप्रथम कुलसचिव ने इस बैठक हेतु कार्य सूची में इंगित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया तथा सम्मानित सदस्यों से उक्त प्रस्तावों पर विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया।

इसके उपरान्त कार्य परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

प्रस्ताव संख्या 10.01- कार्य परिषद की नवीं बैठक दिनांक 04.10.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्य परिषद की 9वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के कार्यवृत्त को सभी सदस्यगणों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि यदि कोई संशोधन हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में किसी सदस्य से कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। परिषद के समक्ष नवीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसकी सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 10.02- कार्य परिषद की नवीं बैठक दिनांक 04.10.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

उपर्युक्त पर परिषद द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया तथा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया।

07/08/2014

प्रस्ताव संख्या 10.03- वित्त समिति की सातवीं बैठक दिनॉक- 10 अप्रैल, 2014 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

उपरोक्त पर कार्यपरिषद के सदस्य प्रोफेसर जे0एम0 पारख तथा प्रोफेसर अख़्तरूल वासे ने सुझाव प्रदान करते हुए अवगत कराया कि वित्त समिति द्वारा पारित प्रस्तावों के अध्ययन हेतु सभी सदस्यों को इसकी प्रति पूर्व में उपलब्ध करायी जानी चाहिये ताकि पारित निर्णयों का और भलीभांति अध्ययन हो सके। सभी सदस्यों ने एकमत होकर इस विषय पर निर्णय लिया कि कार्य परिषद का कार्यवृत्त कम से कम 15 दिन पूर्व बनाकर सभी सदस्यों को भेजा जाय। साथ-साथ कार्यवृत्त की सॉफ्ट कापी भी तैयार की जाए व सम्बन्धित सदस्यों को ई-मेल द्वारा भी प्रेषित कर दी जाए। यद्यपि गोपनीय तथा अनुपूरक कार्यसूची, कार्यपरिषद के अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के समय भी प्रस्तुत की जा सकती है।

सभी सदस्यों ने वित्त समिति में पारित निर्णयों का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया तथा समिति की मद संख्या-7.07 के अनुसार पीएच0 डी0 पाठ्यक्रम में शुल्क की राशि ₹ 2500 के स्थान पर ₹1000 करने का स्वागत किया। मद संख्या-7.08 में मोबाईल फोन रिचार्ज हेतु प्राध्यापकों को उनके द्वारा बहुमुखी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के फलस्वरूप ₹ 500 के स्थान पर ₹ 1000 की सीमा तक रिचार्ज की सुविधा प्रदान करने के प्रकरण को आगामी वित्त समिति में रखे जाने पर सर्वसम्मति हुई। इसी के साथ मोबाईल रिचार्ज की सुविधा जिस उद्देश्य से उपलब्ध करायी जा रही है वह भी संबंधित को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

प्रस्ताव संख्या -10.04- परीक्षा समिति की छठी बैठक दिनॉक- 04 फरवरी, 2014 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

सदस्यों ने इस विषय पर प्रकाश डाला कि कार्यपरिषद में इस प्रकार के प्रकरणों को अनुमोदन प्राप्त करने से 15 दिन पूर्व समितियों की बैठकों में पारित प्रस्तावों को सभी कार्यपरिषद के सदस्यों को डाक/ई मेल द्वारा भेजा जाय ताकि इस विषय पर उन्हें सम्पूर्ण जानकारी मिल सकें। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जॉचने में जिस परीक्षक द्वारा लापरवाही की जाती है उसे विबर्जित (De Bar) कर दिया जाय। परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने से पूर्व आर0टी0आई0 इत्यादि में अनावश्यक जवाबदेही को भी संज्ञान में लिया जाए। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को भेज कर विभिन्न विषयों में दर्ज छात्र नामांकन की प्रगति को सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा। अन्त में सदस्यों ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की बैठक में पारित प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या- 10.05- विश्वविद्यालय संदृष्टि कथन (Vision Statement) का अनुमोदन।

07/08/2014

प्रोफेसर जे0एम0 पारख ने इस विषय में अपना मत व्यक्त किया कि संदृष्टि कथन में कहीं न कहीं लोकतात्रिक एवं सामाजिक न्याय पूर्ण समाज निर्माण में योगदान वाक्य का समावेश भी होना चाहिये। किन्तु प्रोफेसर अख़्तरूल वासे ने यह कहा कि उत्तराखण्ड को देवभूमि कहा गया है तथा यह विश्वविद्यालय इग्नू से पृथक व भौगोलिक परिवेश में स्थित है। संदृष्टि कथन (Vision Statement) ज्ञान का सर्जन कर उत्तराखण्ड के लोगों, विशेषकर युवाओं तथा शिक्षा से वंचित रोजगार में संलग्न व्यक्तियों को मूल्य आधारित गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा' वाक्य भी सम्मिलित है, जो प्रत्येक दृष्टि से सटीक व उचित कथन है। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अतत: सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय संदृष्टि कथन (Vision Statement) को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

प्रस्ताव संख्या-10.06 - विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के रिक्त पद पर चयन हेतु सम्पन्न साक्षात्कार दिनांक 10/05/2014 के परिणाम का अनुमोदन।

परीक्षा नियंत्रक के पद वेतनमान (वेतनमान- 37400-67000 ग्रेड पे 10,000) पर चयन समिति द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रो0 पी0डी0 पन्त के चयन का अनुमोदन किया।

सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति कम से कम 03 वर्षों तक के लिये होनी चाहिये ताकि वे सम्बन्धित विभाग का कार्य ठीक तरह से समझ कर सम्पन्न करवा सकें। प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए परिषद ने सुझाव दिया कि प्रतिनियुक्ति के लिये 03 वर्षों की एक रूपरेखा बनाने हेतु प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, श्रीएल0एस0 रावत, कुलसचिव एवं डॉ संजय ध्यानी, उपकुलसचिव की एक समिति बनायी जाय जिसमें इस विषय की रूपरेखा बनायी जाय कि प्रतिनियुक्ति 3 प्लस 2 वर्ष की होनी चाहिए व इस प्रकार का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना चाहिये। कार्यपरिषद ने सुझाव दिया कि सभी प्रतिनियुक्ति अधिकारियों यथा परीक्षा नियंत्रक, कुलसचिव, उपकुलसचिव व सहायक कुलसचिवों को प्रतिनियुक्ति के स्थान पर सीधी भर्ती द्वारा पूरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव बनाकर भी शासन को शीघ्र भेजा जाय।

7/08/2014

प्रस्ताव संख्या -10.07- विश्वविद्यालय में सृजित सहायक कुलसचिव के 02 रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन की कार्यवाही की सूचना।

समिति ने इसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या-10.08- विश्वविद्यालय में सृजित जनसम्पर्क अधिकारी के 01 रिक्त पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन की कार्यवाही की सूचना।

समिति ने इसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या-10.09-विश्वविद्यालय में नियोजित अकादमिक एसोसिएट /प्रशासनिक परामर्शदाताओं के कार्यकाल विस्तारण की सूचना।

परिषद द्वारा पूर्व में प्रदान किए गए कार्यकाल विस्तारण को अनुमोदित किया गया। भविष्य के लिए पुन: कार्यकाल विस्तारण प्रदान करने के स्थान पर नवीन चयन प्रक्रिया सम्पादित करने के निर्देश दिए गए। अत: किसी भी नियोजित अकादमिक एसोसिएट/प्रशासनिक परामर्शदाता को एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात्, नये नियोजन हेतु चयन प्रक्रिया अपनायी जानी आवश्यक होगी। जो अकादमिक एसोसिएट/परामर्शदाता अच्छा कार्य कर रहे है उन पर विचार किया जाना चाहिए व उनको प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। सेवा निवृत्त कार्मिकों को वेतन की राशि में से पेन्शन घटाकर भुगतान के आधार पर नियोजित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने इस विषय में शासन को भेजे गये प्रस्ताव का भी जिक्र किया जिसमें सभी विषयों में 2 सहायक प्राध्यापक, 2 सह प्राध्यापक, तथा 1 प्राध्यापक की मांग रखी गयी है व शासन द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर अकादमिक एसोसिएट की संख्या में कमी आयेगी।

प्रस्ताव संख्या 10.10-कार्य परिषद की आठवीं बैठक द्वारा अनुमोदित परिनियमावली संशोधन प्रस्तावों पर महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनुमोदन की सूचना।

अध्यक्ष महोदय ने परिषद को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कार्मिकों की सेवा नियमावली बनाये जाने हेतु एक समिति पूर्व से प्रोफेसर आर0 सी0 मिश्र, निदेशक अकादमिक के अंतर्गत कार्य कर रही है जिसमें शिक्षकों के अवकाश, सेवा शर्तों इत्यादि पर रूपरेखा तय की जा रही है जो अपनी संस्तुतियॉ अध्यक्ष महोदय को देगी जिसे आगामी परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा, पर सहमति प्रदान की गई।

07/08/2014

परिषद द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया प्रस्ताव संख्या -8.15 के अंतर्गत **शिक्षक शिक्षा विभाग (Department of Teacher Education)** के नाम संशोधन प्रस्ताव को महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदनार्थ प्रेषण हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 10.11- विश्वविद्यालय हेतु शासन द्वारा सृजित सहायक प्रध्यापक पदों पर संपन्न चयन प्रक्रिया का अनुमोदन।

उपरोक्त पर विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न तिथियों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों हेतु सम्पन्न साक्षात्कार के उपरांत चयन समिति की सस्तुतियों के सील बन्द लिफाफे समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। परिषद द्वारा प्रस्तावानुरूप सहायक प्राध्यापक पदों पर चयन समिति के निम्न विवरणानुसार चयन परिणामों (श्रेष्ठता सूची) का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया-

क्रम संख्या	विषय		चयन परिणाम
1.	शिक्षाशास्त्र	(क) अनारक्षित	1- सुश्री ममता कुमारी 2- श्रीमती भावना पलड़िया
		(ख) आरक्षित (महिला)	1- सुश्री ममता कुमारी 2- श्रीमती भावना पलड़िया
2.	भौतिकी		1- डॉ0 कमल देवलाल 2- डॉ0 हितेश चन्द्र पंत 3- डॉ0 जीवन चन्द्र
3.	समाज कार्य		1- सुश्री नीरजा सिंह 2- श्री रितेश द्विवेदी 3- श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह
4.	प्रबंध अध्ययन		1- श्री सुमित प्रसाद 2- श्री नरेन्द्र कुमार
5.	पुस्तकालय विज्ञान		कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया (N.F.S)
6.	अर्थशास्त्र		कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया (N.F.S)

प्रस्ताव संख्या 10.12- कार्यालय अभिलेखों को अभिलेखन करने एवं उन्हें नष्ट करने के सम्बन्ध में।

उपयुक्त प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करते हुए अनुमोदन किया व साथ-साथ इस सम्बन्ध में सुझाव दिया कि वर्तमान में आर0टी0आई का जवाब देने की आवश्यकता के अनुरूप, महत्वपूर्ण व

27/09/2014

उपयुक्त प्रस्तावों एवं अभिलेखों का विनिष्टीकरण करने से पूर्व उन्हें स्केन कर सी0डी0, पैन ड्राइव अथवा हार्ड ड्राईव में सुरक्षित रख लिया जाना उचित होगा व जिन अभिलेखों की आवश्यकता नहीं है, उनका विनिष्टिकरण एक समिति के माध्यम से किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या-10.13- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

10.13.1-विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय 6 – 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' में संशोधन विषयक प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर सम्यक चर्चा के उपरान्त कार्यपरिषद ने आवश्यक संशोधन विश्वविद्यालय को परिनियमावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने की सहमति प्रदान की। परिषद ने प्रचलन के माध्यम (By Circulation) के स्वीकृति के स्थान पर कार्यपरिषद में बैठक बुलाकर अनुमति प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की।

10.13.2-विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 6(1) में संशोधन हेतु प्रस्ताव।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रस्तावित परिनियम संशोधन पर अनुमोदन प्रदान करते हुए संशोधन प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति को स्वीकृतार्थ प्रेषित किए जाने हेतु सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

10.13.3-विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों हेतु कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में परिषद को अवगत करवाया गया कि प्रस्ताव 10.13.1 में बनायी गयी समिति द्वारा सेवा नियमावलियां बनायी जा रही है, जिस पर बनायी गयी रूपरेखा के अनुसार आगामी कार्य परिषद की अनुमति से आगे की कार्यवाही की जाएगी, पर सर्वसम्मति से सहमति बनी।

07.3.2014

10.13.4- विश्वविद्यालय हेतु वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से स्वीकृत 77 पदों को नियमित पदों में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।

उक्त पर परिषद ने अवगत कराया कि वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के हिस्से की एक बड़ी राशि वाह्य संस्थायें ले लेती है। अत: शासन से इस प्रकार स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों हेतु संविदा पर सीधी भर्ती के पद स्वीकृत करने व पदों में समायोजित किये जाने हेतु आग्रह किया जाय।

उपरोक्त प्रस्तावों के अतिरिक्त कार्यपरिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव किया गया कि-

10.13.5- विश्वविद्यालय में कार्यरत वाहन चालकों द्वारा निर्धारित कार्यालय अवधि के अतिरिक्त समय में भी कार्यालयी कार्यों हेतु वाहन चालन कार्य किया जाता है। तद्-नुरूप अतिरिक्त समय में दी गई सेवाओं एवं विषम पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों में कार्य सम्पादन के दृष्टिगत कार्यरत वाहन चालकों को प्रतिमाह रू.500 का अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाए। परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रस्तावित भत्ते के स्थान पर ओवरटाइम का भुगतान करने तथा प्रस्तावित राशि रू.500 प्रतिमाह का प्रतिवाहन चालक जीवन बीमा/दुर्घटना बीमा हेतु कार्यवाही किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। जिसे आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने पर सहमति दी गयी।

सचिव कार्य परिषद ने सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में डाला कि डॉ0 (श्रीमती) गंगोत्री त्रिपाठी, प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग (प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा नामित) महोदया, 31 जुलाई 2014 को सेवा निवृत हो रही है। सभी सदस्यों ने डॉ0 (श्रीमती) गंगोत्री त्रिपाठी से सेवानिवृत्त जीवन हेतु शुभकामनाऐं व्यक्त कीं।

अन्त में परिषद की बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त समाप्त हुई।

07/08/2014

(एल0एस0 रावत)

कुलसचिव/सचिव कार्य परिषद

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी-263139 (नैनीताल)